

प्रेषक

प्राणेश चन्द्र शुक्ल,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग-6

लखनऊ : दिनांक 17 अक्टूबर, 2020

विषय:- चालू वित्तीय वर्ष, 2020-21 में मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा से आच्छादित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बर्राह, जनपद जौनपुर के भवन निर्माण हेतु द्वितीय किशत की धनराशि अवमुक्त किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-406/17फ/नि0नि0अ0/2020-21, दिनांक 16.09.2020 एवं शासनादेश संख्या-46/2019/3892/पांच-6-18-26(निर्माण)/18टी0सी0, दिनांक 26.02.2019 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त शासनादेश दिनांक 26.02.2019 द्वारा प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु रुपये 135.86 लाख की मूल प्रशासकीय स्वीकृति निर्गत करते हुए प्रथम किशत के रूप में रुपये 50.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके प्रस्ताव के क्रम में चालू वित्तीय वर्ष, 2020-21 में मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा से आच्छादित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बर्राह, जनपद जौनपुर के भवन निर्माण हेतु मूल स्वीकृत लागत रुपये 135.86 लाख के सापेक्ष द्वितीय किशत के रूप में रुपये 27.17 लाख (सत्ताईस लाख सत्रह हजार रुपये मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने पर निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. वित्त विभाग के कार्यालय-जाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020 दिनांक 24.03.2020, शासनादेश संख्या-4/2020/बी-1-192-दस-2020-231/2020, दिनांक 07.04.2020, शासनादेश संख्या-5/2020/बी-1-196-दस-2020-231/2020, दिनांक 11.04.2020, शासनादेश संख्या-10/2020/बी-1-564/दस-2020-231/2020, दिनांक 29.09.2020 तथा शासनादेश संख्या-46/2019/3892/पांच-6-18-26(निर्माण)/18टी0सी0, दिनांक 26.02.2019 में उल्लिखित दिशा निर्देशों/प्रतिबन्धों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।
3. प्रायोजना की मूल प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के शासनादेश में उल्लिखित सुसंगत शर्त/प्रतिबन्ध यथावत् रहेंगे।
4. धनराशि का एकमुश्त आहरण नहीं किया जाएगा। आवश्यकतानुसार किशतों में आहरण किया जाएगा। आहरित धनराशि किसी बैंक/डाक घर आदि में नहीं रखा जाएगा।
5. कार्यदायी संस्था को दो माह की आवश्यकता के अनुसार धनराशि अवमुक्त की जाएगी। विभागाध्यक्ष कार्यालय में तैनात वित्त नियंत्रक का यह उत्तरदायित्व होगा कि धनराशि का कोषागार से आहरण दो-दो माह की आवश्यकता के अनुसार ही किया जाए।
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-4/2020/बी-1-192-दस-2020-231/2020, दिनांक 07.04.2020 के प्रतिबन्धों/दिशा-निर्देशों के अनुपालन का दायित्व सम्बन्धित वित्त नियंत्रक का होगा।

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकी जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

3- उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 की अनुदान संख्या-32 के " लेखाशीर्ष-4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-02-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें-103-प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र-04-नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का भवन (चालू अंश जिला योजना)-24-वृहत निर्माण कार्य" के नामे डाला जाएगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश दिनांक 29.09.2020 द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,
प्राणेश चन्द्र शुक्ल
उप सचिव।

संख्या-233/2020/1392(1)/पांच-6-2020, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
3. जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, जौनपुर।
4. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
5. अपर निदेशक (नियोजन/बजट/विद्युत/चिकित्सा उपचार) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
6. संबंधित मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण।
7. अधीक्षण/अधिशाली अभियन्ता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
8. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जौनपुर।
9. प्रबन्ध निदेशक/संबंधित परियोजना प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ/जौनपुर।
10. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2/नियोजन अनुभाग-4, 30प्र0 शासन।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
प्राणेश चन्द्र शुक्ल
उप सचिव।